न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

पीठासीन अधिकारी, श्री पंकज कुमार–II, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (UP 3652)

UPHP120044122025

Warrant or Summons Criminal Case/2202/2025

परिवाद संख्या–2843/2026

शबनम बनाम अमजद आदि

थाना–सिम्भावली, जिला–हापुड़।

दिनांकः–20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. हेतु नियत है। परिवादिनी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है तथा न ही उसके द्वारा कोई मौका प्रार्थनापत्र दिया गया है। परिवादिनी आज भी नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी उक्त परिवाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। उक्त परिवाद वर्ष 2025 से लंबित है। ऐसी स्थिति में मात्र परिवाद पत्र के आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली साक्ष्य के अभाव में अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. में खारिज/निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद साक्ष्य के अभाव में धारा–226 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज कुमार–द्वितीय)
(जे.ओ. कोड–UP3652
अपर सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।